

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

नीलामी की शर्तें

क्रमांक 4105 / तीन-3-7 / 2007

जबलपुर, दिनांक-16 सितम्बर, 2022

1. इस स्थापना में उपलब्ध शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.02 ए.व्ही. 2634 नवीन जिला न्यायालय प्रांगण में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। कार्यालय समय में कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
2. वाहन नीलामी हेतु 5,000/- (अंकन-पांच हजार रूपए मात्र) अमानत राशि जिला नाजिर के पास नीलामी के एक दिन पूर्व जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा।
3. वाहन जहां है, जिस स्थिति में है, विक्रय किया जावेगा।
4. अमानत राशि जमा करने की मूल रसीद के साथ ही नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
5. उच्चतम बोली स्वीकार करने पर विचार किया जावेगा।
6. बोली स्वीकार होने पर तत्काल एक मुश्त राशि संबंधित विभाग के पास जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।
7. बोली की राशि समय पर न जमा करने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
8. बोली स्वीकार करने या न करने का पूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर को होगा।
9. दिनांक 15.11.2022 को नीलामी कार्यवाही पूर्ण न होने की दशा में नीलामी अगले दिनों में भी निरंतर चालू रहेगी।



वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)